





CAMP/BENCH REPORT

KANKER, CHATTISGARH

23rd November, 2019

NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS
NEW DELHI

Working Report

INTRODUCTION

The Commission conducted its 41st Bench/Camp in Kanker District which is situated in Chhattisgarh. The Bench was held on 23rd November 2019. The Bench/Camp was chaired by Shri. Yashwant Jain, Hon'ble Member, National Commission for the Protection of Child Rights (NCPCR), Smt. Prabha Dubey, Chairperson, Chhattisgarh State Commission for the Protection of Child Rights (CSCPCR); Shri. Kumar Lal Chouhan (IAS), District Magistrate, Kanker Shri. Bhojram Patel, Superintendent of Police (IPS), Kanker and.



The key highlights of the Bench/Camp were:

- The Bench/Camp received **639** complaints from all blocks of the district and heard 50+ complaints on the same day.
- The Nodal Officers from all the districts participated and provided their valuable support to the Bench/Camp.
- The Commission received complaints from NGO's, schools and Childline. The representation of the NGO's during the proceeding was good. The NGO's brought the complaints before the bench and certain NGO's submitted their complaints to their district officials.
- Volunteers of Childline and teachers helped the Commission in conducting the bench at Kanker.
 Childline and teachers from Kanker were present on the day of the bench/camp- Kanker. They set up their help desk and registered the complaints. They even helped the complainant in writing their complaints and translated the complaints for the NCPCR team.

• Childline was moderately active during the bench/camp and provided all the necessary assistance required for the bench/camp.

MEETING WITH OFFICIALS

NCPCR team held a meeting with the officials of Kanker District along with Joint Collector, Sub Divisional Magistrate, on 22/11/2019. During the meeting, the NCPCR team informed the officials present regarding the objective and purpose of constituting a national bench related to child rights violations in the district. The officials were explained regarding the submissions to be made by them during the bench clearly outlining the issues to be dealt with in a time bound manner.

It was briefed by NCPCR team that all the officers concerned should clearly write what action they would be taking in each petition received by them and mention by which date and time they would be completing the said action. Also, they were asked to clearly mention their e-mail, phone number etc on the sheets received by them on the day of the bench. It was also explained that in case one or more departments are concerned in one case, both the departments should make submissions accordingly in the sheet. It was also informed that if the officials may mark the petition to the DC for his comments in case they need to in cases were DC/DM should intervene directly. The list of concerned departments at district level present in the meeting is enclosed as Annexure.

NGO CONSULTATION MEET

The National Commission for the Protection of Child Rights conducted an NGO Consultation meeting on 21st November 2019. The meeting was organized at District Collectorate, Kanker. NCPCR team was present in the meeting. SDM, Kanker and Programme Officer of Kanker District were also present for the meeting. During the meeting, the NCPCR team informed the NGO's about the objective and purpose of constituting a National bench related to child rights violations in the district. The team also informed the respective NGO's about the roles and responsibilities of the commission and work done by the commission all over the years in protecting and preserving the rights of children. Out of 22 NGO's registered under NITI Darpan portal around 10 NGO's have participated in this meeting. The Commission informed the NGO's about the objective of National bench and asked them to attend the meeting before the sitting of the bench All the NGOs were asked to spread the awareness and disseminate the information with regard to NCPCR's Bench at Kanker and present the matters related to violation and deprivation of child rights before NCPCR's Bench.

KEY HIGHLIGHTS FROM THE NGO-MEETING

- Around 10 NGO's have participated in the meeting.
- Around 10 NGO's have agreed to volunteer in running the National Bench smoothly and efficiently.

- A representation of the NGOs was unsatisfactory.
- NGO's didn't provide any constructive information related to child protection issues and were not aware with ground realities.

INSPECTION VISIT

NCPCR officials conducted inspections in two Anganwadi centers, one Children's Home for girls, one Specialized Adoption Agency, one Convent School of Kanker district. The objective of conducting the inspection was to review the performance and standards of the facilities provided to the children in AWC's and School and simultaneously take Suo-moto cognizance on the matters pertaining to child rights violations in these institutes. Officials from NCPCR covered two Anganwadi centers in Kanker, named as Anganwadi Kendra No. 1 M.G. Ward (Devarpara) Centre and Anganwadi Kendra Rajapara, Nadipara, Kanker.

ANGANWADI KENDRA NO.1 M.G. WARD (DEVARPARA) CENTRE

Anganwadi had appropriate space for 10 children where 5 children were currently enrolled in the Anganwadi. The Anganwadi constituted of one room, where children were sitting for a proper activity room was designated for children to organize non-formal preschool activities. The room had various items for children like- props, learning cards, wooden blocks, story flash cards and pre-reading materials. The Anganwadi had separate kitchen but no storeroom at the site.

Highlighted Issues

- The huge open pit and open sewage outside Anganwadi pose a serious threat to children's safety as it is not properly secured.
- The hygiene standards have not been found to be satisfactory within and outside the Anganwadi premises; also, the toilet was present in the building but was found to be non-functional.
- There was no direct supply of water in the toilet, and the same water outlet was used to drinking water as well as in the toilet.

ANGANWADI, RAJAPARA, NADIPARA

NCPCR conducted an inspection in rural Anganwadi Rajapara, Nadi Para. This particular Anganwadi was well kept and equipped with a functional toilet for children, store room, kitchen, and drinking water. The children from local areas are enrolled in Anganwadi

Centre. The visit was assisted by the Anganwadi Worker. Currently total number of children registered in AWC was 50, while 10 of them were physically present while the inspection was taking place.

Highlighted Issues

- 1) Child-friendly toilet was not present in the Anganwadi.
- 2) Storage and kitchen were together.

PRATIGYA VIHAR KENDRA (SPECIALIASED ADOPTION AGENCY)

A visit was conducted by the NCPCR Team at the only SAA in district Kanker, the adoption agency was well kept and built inside a gated house, there were total 16 children currently present at the SAA. Out of total 16 children, 8 were fit for adoption children while 8 were 'children in need of care and protection'. The premises of adoption center where moderately hygienic. All the registers and documents were in complete order.

BALIKA ASHRAM GRIH, SINGARBHAT, KANKER (CHILDREN'S HOME FOR CNCP GIRLS)

Balika Ashram Grih, Singarbhat was a home for 'children in need of care and protection' girls. Most girls had been staying there for few years and regularly going to school nearby. The home premises were clean and hygienic, the toilets and kitchen were well kept. During the conversation with the girls, girls reported of few issues such as unavailability of skill-development classes and but one of the girl narrated her story of sexual assault by her immediate family member which made her run away from home. After understanding the case, the Police was informed about the case and the minor girl was called during the Bench to give her statement to the police, followed by medical examination and conduction of FIR.

SCHOOL VISIT

The Commission visited St. Michaels Higher Secondary, School, Kanker, Chattisgarh-3330219 to examine the facilities provided to the children in school. As per the data provided by the school authority, total number of 1600 students enrolled in the school. The school had 61 classrooms and 54 teachers appointed for each classroom. Separate toilet facilities were available for boys and girls. Mid-day-meal facility was not available in the school. The drinking water facility was found adequate in the school and RO water facilities was provided to the students. Furniture and other related equipment's are adequate and suitable for institution. Fire extinguisher facility was available on every floor of the school.

S.NO	SCHOOL DETAILS	DATA
1	Total students	1600
2	Total Classrooms	61
3	Staffroom	Nil
4	Toilet Facility	Yes

	Boys-	31
	Girls-	31
5	Kitchen	NO
6	Mid day Meal	NO
7	Drinking Water Facility	Yes

III. ON THE DAY OF THE SITTING OF THE BENCH/CAMP

The Commission conducted its National bench/camp at Kanker district in Chhattisgarh. The Bench/Camp was organized on 23rd November 2019. The bench/camp consisted of Sh. Yashwant Jain Hon'ble Member of National Commission for the Protection of Child Rights (NCPCR) and Ms. Prabha Dubey Member of Chhattisgarh State Commission for Protection of Child Rights; Sh. Bhojram Patel, SP and Sh. Kumar Lal Chouhan, DM. In The district administration had arranged for stalls in the venue, outside the main auditorium. The stalls comprised of various departments such as ICDS, ICPS education, Caste Certificate, Booth for Aadhar Card, health and medical dept, disability, nutrition. The stalls were beautifully arranged and had all the IEC-information regarding children's rights related to nutrition, education communication material, such as posters and pamphlets. Various books, toys, government publications were also present and respective department employee was also present to explain about the stall and various schemes of Government. The stalls acted as a means of child rights awareness. Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK) officials did check up of children.

Apart from individual complainants NGO's, DCPU, Childline from Kanker, schools presented the cases of child right violation to the bench/camp. The complainants representing their institutes helped the commission in reaching out to the children who could not present their cases on the day of the sitting of the bench/camp. The schools highlighted the issue of children with disabilities, poor infrastructure facility. NGO's raised the issue of education and rehabilitation issue of children with disabilities, lack of clean drinking water, proper housing, and dropout cases of tribal areas in Kanker. 6 more NGO's brought complaints before the bench/camp.

Area Wise (Under CPCR Act, 2005)

Complaints are segregated based on the 6 areas that comes under section 3 of CPCR Act, 2005. The highest number of cases, that is, **361** cases are registered under Juvenile Justice, **44** under Education, **3** under POCSO and **231** under Health.

S.NO.	DEPARTMENTS	TOTAL COMPLAINTS
1	Juvenile Justice	361
2	Education	44

3	Laws relating to Children (POCSO)	3
4	Health	231
	TOTAL	639

DISCLAIMER: This data is the initial data as per the day of the Camp/ Bench

COMPLAINT ANALYSIS

1) Juvenile Justice

The bench/camp received **361** complaints from the districts. The complaints are further divided into 4 sections:

SECTION	NATURE OF COMPLAINTS	TOTAL COMPLAINTS
1	Cases related with Caste Certificate	95
2	Cases related Adhaar Card	238
3	Other JJ Related Complaints	12
4	Cases related with Disability Pension	16
	TOTAL	361

2) Education

Education department received **39** complaints from the district. The nature of complaints related to education department is further divided into 5 sections:

SECTION	NATURE OF COMPLAINTS	TOTAL NUMBERS
1	Complaints regarding financial assistance and scholarship	4
2	Complaints regarding school infrastructure	33
3	Complaint regarding dropout cases	2
4	Complaints regarding admission to schools	3
5	Other education related issues	2
	TOTAL	44

3) Laws relating to Children (POCSO)

Three cases were registered under Laws relating to Children (POCSO) in which two complaints pertains to provision of compensation of sexual-abuse victims and other case also refers to sexual

abuse of child by her Uncle, and the crime was reported while the NCPCR Team conducted a visit at the Balika Grih, in Kanker.

4) Health

231 cases were registered under health department. Mainly Cases are related to financial help for treatment, cases are of toilet reconstruction, cases are of inadequate facilities in Anganwadi situated in a tribal area. 136 cases related to issuances of Birth Certificate, and 56 cases to issuances of Disability Certificate. The nature of complaints related to Health department is further divided into 8 sections:

SECTION	NATURE OF COMPLAINTS	TOTAL NUMBERS
1	Direct Treatment	18
2	Financial aid for treatment	2
3	Disability Certificate	56
4	Disability Pension	5
5	Disability treatment + Certificate + equipment	10
6	Anganwadi Center	3
7	Birth Certificate	136
8	Miscellaneous	1
	TOTAL	231

IV. COMPLAINT ANALYSIS ACCORDING TO NITI AAYOG INDICATORS

The National bench/camp of NCPCR is being conducted in those districts which are declared 'Aspirational' by NITI Aayog. The NITI Aayog analyzed these districts based on 49 indicators segregated in five sectors-Health, Education, Agriculture & Water resources, Financial Inclusion and Basic Infrastructure. Since NCPCR has a mandate to take complaints in the matters related to child rights violations. Therefore, the Commission has placed its focus on two key sectors- Education & Health & Nutrition focusing on the facilities provided to children. Then again while examining the complaints that Commission received while conducting the bench/camp in aspirational district, not all complaints could be analyzed based on the indicators laid down by the NITI Aayog.

EDUCATION

S.NO	SECTOR	NITI AAYOG INDICATORS	COMPLAINTS RECEIVED BASED ON THE INDICATORS
1	E D	Transition rate from primary to upper primary school & Upper primary to secondary	2 cases pertaining to early drop-out received.
2	U C A	Toilet access: percentage schools with functional girls' toilets	33 complaints related to school-infrastructure
3	T I O	Percentage of schools with functional drinking water facility	received.
4	N	Percentage of schools with functional electricity facility at secondary level	
5		Female literacy rate (15+ age group	
6		Percentage of elementary schools complying with RTE specified Pupil Teacher Ratio	
7		Percentage of schools providing textbooks to children within 1 month of the start of academic session	
S.NO	SECTOR	NITI AAYOG INDICATORS	COMPLAINTS RECEIVED BASED ON THE INDICATORS
1	H E A L T	Proportion of Anganwadis with own buildings	3 complaints received relating to Anganwadi Centre functioning/non-availability

Major issues that were identified by the Commission while conducting bench/camp in Kanker were related to the lack of basic amenities like education, health and nutrition. The people of the district are unaware of the basic knowledge in respect to child rights. Basic survival facilities have been out of reach for people of Kanker like no access to basic certificates like Aadhar card, birth certificate, disability certificate, caste

certificate, etc. Around 200 complaints related to Aadhar card were made during the Bench/camp which will help children in accessing relevant government schemes such as disability pension, sponsorships, scholarships etc. Around 95 complaints related to caste certificate were made during the Bench/camp which will allow many children to avail benefits according to their castes. Because of the National Bench/camp the people of Kanker were benefitted in availing these certificates.

VI. CONCLUSION

The National Bench/camp was conducted successfully in Kanker, Chhattisgarh. NCPCR received 639 total complaints during the sitting of the bench/camp. The commission received moderately average support and participation from the NGO's from the district. Around 5 NGO's brought complaints regarding child right violation before the bench/camp and some have submitted complaints to their district administration which was received by NCPCR through DCPU. The volunteers apart from the district administration helped in running the proceedings of the bench/camp smoothly. The volunteers were teachers and principals of Government schools from Kanker. The Contribution from the Child-line was moderately satisfactory.

Annexures

Details of Non-Government Organisation Active during the Bench.

S.No	Name of Organisation	Name of Head
1.	Sahbhagi Samaj Sevi Sansthan, Charama	Mr. Basant Yadav
		Phone: 7000626932
2.	Vritti Livelihood Research Centre, Kanker	Mr. Satish Mishra
		Phone: 8707572055
3.	Praitha Manch, Kanker	Mrs. Hemlata
		Vaishnav
		Phone: 9893427612
4.	Pratigya Vikas Sansthan, Kanker	Mrs. Sarita Sharma
		Phone: 8349148860
5.	Adim Jaati Kalyan Sangh, Kanker	Mrs. Phulvasan Nag
		Phone: 9424294814
6.	Disha Samaj Sevi Sanstha, Kanker	Mr. Keshav Shori
		Phone: 9406292239
7.	Pratigya Vikas Sansthan, Kanker	Mr. R. S. Mishra
		Phone: 9425162080
8.	Pradan Sanstha, Naharpur	Mr. Pritam
		Phone: 9098826438
9.	Pradan Sanstha, Bhanupratapur	Mr. Aashu
		Phone: 8964940086
10.	Yuva Shakti Samaj Sevi Sansthan, Charama	Mr. Devendra Sinha
		Phone: 7415279957

Details of Officials Involved during the Bench at Kanker.

S.No	Department
1.	Secretary, District Legal Services Authority, Kanker
2.	Chairperson/Members, Juvenile Justice Board
3.	Chairperson/Members, Child Welfare Comittiee
4.	Superintendent of Police, Kanker
5.	Chief Executive Officer, Zila Panchayat
6.	Mukhya Nagar Palika Adhikari
7.	Anuvibhagiya Adhikar, Rajasv Kanker
8.	Tehsildar/Nayab of all Tehsils under Kanker
9.	Chief Medical Officer, Kanker

10.	Labour Officer, Kanker
11.	District Programme Officer, Women and Child Development, Kanker
12.	Deputy Director, Social Welfare Department
13.	District Education Officer, Kanker
14.	Chief Engineer, Public Health Department
15.	Zila Parivahan Adhikari, Kanker
16.	Deputy Director, Adivasi Vikas Vibhag, Kanker
17.	Zila Khadya evam Niyantrak Adhikari, Kanker
18.	Chief Engineer, Gramin Sadak Vikas, Kanker
19.	Chief Engineer, Lok Nirman Vibhag, Kanker
20.	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat (All Janpad)
21.	Program Officer, Kanker
22.	Officials fo Special Juvenile Police Unit, Kanker
23.	Child Welfare Police Officials (All Police Stations)
24.	Coordinator, Childline Kanker

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक दिवसीय कैंप में मिलेगी अहम जानकारी

हरिभूमि न्यूज 🕪 कांकेर

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के संरक्षण एवं अधिकार प्रदान किये जाने के संबंध में 23 नवम्बर को एक दिवसीय कैम्प का आयोजन जिला पंचायत के सभाकक्ष में किया जाएगा।

जानकरी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी सीएस मिश्रा ने बताया कि उक्त कैम्प में

 एक दिवसीय (देखरेख केम्प का

संरक्षण) अधिनियम आयोजन 23 के तहत देखरेख व संरक्षण वाले बच्चे, लैंगिक अपराधों से

संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा से वंचित बच्चे और भारतीय संविधान में नेहित तथा अन्य अधिनियम के तहत गलकों को प्रदत्त अधिकार को प्रदान केये जाने तथा शाला त्यागी बच्चे, पदभावपूर्ण व्यवहार से ग्रसित बच्चे. पमुचित इलाज से वंचित एड्स की ग्रीमारी से पीड़ित बच्चे, मुआवजा राशि से वित यौन शोषण से पीड़ित बच्चे, मानव

तस्करी में मजबूर बच्चे, यौन शोषण के शिकार बच्चे भिक्षावृत्ति हेतु मजवूर बच्चे, बच्चों को अवैध रूप से गीद लेने संबंधी शिकायत, ऐसे बच्चे जिनका शारीरिक शोषण, लैंगिक हमला, परित्यक्त अथव उपेक्षित हो रहे हो, ऐसे बच्चे जिनको आंख, कान या अन्य शारीरिक विकलांगता के बाद भी उन्हें शासन की योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है, ऐसे सभी शिकायतों का निराकरण कैम्प में किया जाएगा। कैम्प में बच्चों, माता-पिता, अभिभावक या अन्य माध्यम से भी आवेदन या शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। कैम्प में प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। केम्प के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए ग्राम पंचायतों एवं वाडों में मनादी कराने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम अधिकारी श्री मिश्रा बताया कि श्रम विभाग, शिक्षा विभाग समाज कल्याण विभाग, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनप पंचायत, परियोजना अधिकारी एकीकृ बाल विकास परियोजना, पुलिस थान ग्राम पंचायत सरपंच ,सचिव इत्यादि क भी इस कैम्प के संबंध में आवश्यव कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।

www.naidunia.com दिल्ली से आई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने ली बैठक

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली से आइ टीम ने जिला कार्यालय के सभाकस में अधिकारियों की बैठक ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक दिवसीय कैंप के आयोजन के संबंध में उक्त बैठक ली।

बैठक में शिकायत पेटी से प्राप्त सभी शिकायत पत्रों को विभागवार छंटनी करते हुए तैयार की गई नोटशीट में भरे जाने के लिए निर्देशित किया। जिसके लिए पूर्व से नामांकित वालिंटियसं को भी बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। बैठक के भवन का निरीक्षण कर तैयारी की अतिरिक्त पुलिस अधीयक कीर्तन कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षण जायजा लिया। बैठक में अपर कलेक्टर राठौर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिकारी उपस्थित थे।



बाल अधिकार संरक्षण की बैठक में अधिकारी कर्मचारी मौजुद । 🏿 नईदुनिया

प्राप्त शिकायत को नोटशीट में भरे जाने के दिए निर्देश

ने कैंप आयोजन स्थल संयुक्त कलेक्ट्रेट नोडल अधिकारी सीएल मार्कण्डेय, करूयाण विभाग, सिविल सर्जन, जिला

आयोग नई दिल्ली से शाइस्ता के शाह. समन्वयक एनसीपीसीआर, कल्पना बल्हारा, करिश्मा, अंजली महाका सलाहकार तथा शिक्षा अधिकारी, के परचात प्रशिक्षण भी दिया गया। टीम एमआर चेलक, संयुक्त करनेक्टर व श्रम पदाधिकारी, उप संचालक समाज

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कैंप 23 को

अमेडिन सर्वेक्ष

एक दिवसीय शिविर

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के शिविर में आए ७०७ प्रकरण

कांकेर. शनिवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य यशवंत जैन नई दिल्ली एवं प्रभा दुबे प्रदेश अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नेतृत्व में जिला स्तरीय एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 707 प्रकरणों का पंजीयन किया गया।

इस दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में जुनैल जस्टिस एक्ट 2015, पाक्सो-एक्ट 2012 और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एक्ट निटिरिंग का कार्य हमें दिया गया है। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में तय



किया गया कि नीति आयोग के मापदंड में देश में 115 जिले पिछड़े हुए हैं। इन पिछड़े जिलों में अब तक देशभर में 48 स्थानों पर जनसमस्या शिविर का आयोजन किया जा चुका है। कांकेर में भी एक दिवसीय

जनसमस्या शिविर का आयोजन किया। एनजीओ व आंगनबाडी से जन्मप्रमाण पत्र, छोटे बच्चों का आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने व स्कलों में शिक्षकों की कमी के साथ.

पावसो एक्ट के गंभीर मामले भी शिविर में पंजीकृत हुए हैं। इस दौरान कुछ प्रकरणों का त्वरीत निराकरण किया गया। टाईसाइकिल वितरण, कान की मशीन, 30 लोगों को जन्मप्रमाण पत्र. आधार कार्ड जैसी समस्या को तुरंत निराकरण किया गया। कछ प्रकरणों में 10-15 दिन का समय लगेगा। ऐसे प्रकरणों की सुची संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है। ताकि शीघ्र समस्याओं का निराकरण किए जाए। शिविर के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। स्कृती बच्चों को चाइल्ड हेल्प लाइन की जानकारी व टोल फ्री नंबर 1098 के बारे में बताया गया। दूसरा यह कि बच्चों को यौन शोषण जैसे अपराधों

से बचाने के लिए स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जाए और गुड टच व बैंड टच की जानकारी उनको दिया जाए। यौन अपराध में रोकथाम हो सके साथ ही किसी भी व्यक्ति को इस तरह के बाल यौन शोषण की जानकारी हो तो उसे छुपाएं नहीं। बल्कि तुरंत उसकी सूचना विभाग को दें। जूनैल जस्टिस एक्ट में अनाथ बच्चों व घर से इधर उधर भटके बच्चों की व्यवस्था कैसे किया जाए, साथ ही इस एक्ट में कोई पालक अनाथ बच्चों को गोद लेना चाहता है। वह बिना प्रक्रिया के गोद नहीं ले सकता है। इस तरह के नियमों का शक्ति से पालन होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो विभिन्न बाल अपराध को करते आ रहे है।

कांकेर . भानुप्रतापपुर . परवांजूर

बाल अधिकार शिविर • बाल अधिकार संरक्षण आयोग की खंडपीठ ने किया था आयोजन

मिली 707 शिक प्रमाण पत्र

भारकर न्यूज क्रिकेट

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की खंडपीठ की ओर से बाल अधिकारों के उल्लंधन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु शिविर आयोजन किया गया। हतु ।शावर आयाजन करना पाना इसमें जन्म प्रमाण पत्र, आशार कार्ड, दिख्यांगता, जाति प्रमाण पत्र, रिशक्तों को कमी, राशन कार्ड में नाम जोड़खाने, पॉक्सो फ्रकरण में इतिपूर्ति राशि नहीं मिलने आदि की 707 रिक्कायर्नि मिली। आयोग के सरदस्य परावंत जैन ने शिविर के बार कारण कि क्योंकर किये के बाद बताया कि कांकेर जिले में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने की सबसे ज्यादा शिकायत है। इसे दूर करने आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित 414 शिकायतें मिली हैं। आयोग के सदस्य यशवंत जैन

ने कहा कि आयोग द्वारा देश के 115 आकांक्षी जिलों में जाकर बेंच लगाकर बच्चों से संबंधित समस्या सुनी जा रही है। बाल संरक्षण के लिए वैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों



कांकेर। शिविर में शिकायत करने बड़ी संख्या में पहुंच लोग।

जैसे शिक्षा का अधिकार, लैंगिंग अपराध से संरक्षण, किशोर न्याय अधिनयम आदि की जानकारी दी जा रही है। प्रशासनिक अफसर बच्चों के अधिकार एवं संरक्षण के वच्चा क आश्कार एवं संरक्षण क लिए जो कानूनी ग्रावधान हैं उनकी जानकारी स्कूलों में दें। वच्चों को गुड टच एवं बैड टच के संबंध में भी बताया जाए। बच्चों के साव

लैंगिक अपराध होने पर जानकारी तत्काल पुलिस को दी जाए। बच्चों के संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है जिसके माध्यम से बच्चों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। बेसहारा एवं संरक्षण योग्य बच्चों को बाल कल्याण समिति को सींपा जाए। शिविर में छत्तीसगढ़ राज्य

बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकार संरक्षण आयोग अभ्यक्ष प्रभा युवे, गएंदीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली से शाइस्ता के शाह, समन्वयक एनसीपीसीआर कटपना बल्हारा, करिरमा, अंजली महाका, पुलिस अभीक्षक भोजाराम पटेल, अपर करोक्षक भोजाराम पटेल, अपर करोक्षक भोजाराम पटेल, अपर उपस्थित थे।

गाइडलाइन के अनुसार बनते हैं जाति प्रमाण पत्र

शिविर को संबोधित करते कलेक्टर केएल चीएन ने करा बच्चों के संरक्षण के लिए शासन प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे है। बेसहारा, अनाथ बच्चों को संरक्षण दिया जा रहा है तथा उनकी शिक्षा दीक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विशेष से भारता देश का रहे है। काकेंद्र में बालिका बालगृह संचालित है। शासन की गइड लाइन के अनुसार जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और रिछड़ा वर्ग के बच्चों को जन्म व स्थाई जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है।

शिविर में ये मिली शिकायतें

- जाति प्रमाण पत्र संबंधित 414
 जन्म प्रमाण पत्र संबंधित-73 • आधार कार्ड संबंधित -169
- विकलांगता संबंधित 36शिक्षकों की कमी संबंधित 4
- राशन काई संबंधित- 9
- पाक्सो प्रकरण श्रतिपृतिं संबंधित
- -1 अन्य 1 कुल 707

आर equi-

कॉले कॉले संचा कर : बाद

चेव निग में हुई बारीव

श्रीक

बाल अधिकार उल्लंघन प्रकरणों के निराकरण हेतु शिविर आयोजित

* consect | wider.

राष्ट्रीव बाल अधिकार संरक्षण आयोग की खण्डपीठ द्वारा बाल अधिकारों के ठक्कंपन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए आज संयुक्त जिला कार्यालय भवन में कैम्प कक आयोजन किया गार जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, अध्यार कार्ड, दिव्यांगता, जाति प्रमाण पत्र, शिक्षकों की कमी, राष्ट्रत कार्ड में नाम ओढ़वाने, पॉक्सी प्रकरण में प्रतिपृति राशि नहीं मिलने जैसे शिकायतों सहित अन्य प्रकरणों की शिकायतों सहित अन्य प्रकरणों की शिकायतों सहित अन्य प्रकरणों की शिकायतों साहित अन्य प्रकरणों की शिकायतों साहित अन्य प्रकरणों की शिकायतों साहित अन्य प्रकरणों की शिकायतों सहित अन्य प्रकरणों की शिकायतों सहित अग्योग के स्वर्थ प्रकर्ण के लिए संबंधितों को आयोग हार निर्देशित किया गया है. इस अवसर पर बाल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य यशावंत जैन ने कहा कि आयोग हार देश के रा 15 आकोशी जिलों में जाकर के खाना कर संरक्षण अश्वीण को संरक्षण के अधिकार संरक्षण अश्वीण के संरक्षण के संवर्थ यशावंत जैन ने कहा कि आयोग हार देश के रा 15 आकोशी जिलों में जाकर के खाना तर संरक्षण के संरक्षण के संरक्षण के स्वराण कर संरक्षण आयोग के सदस्य यशावंत जैन ने कहा कि आयोग हार स्वर्थ संरक्षण आयोग के सदस्य यशावंत जैन ने कहा कि आयोग हार संरक्षण अश्वीण कर संरक्षण अश्वीण के स्वराण संरक्षण अश्वीण के संरक्षण के स्वराण संरक्षण अश्वीण कर संरक्षण के स्वराण संरक्षण संरक्षण के स्वराण संरक्षण संरक्

लिए वैश्वानिक एवं कानूनी प्रवधानी विश्वों के संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले

भावना विषय वैधानिक एवं कानूनी प्रवधानी जैसे शिक्षा का अधिकार, लैंगिंग अपराध से संरक्षण, किस्त्रीर न्याय अधिनायम इत्यादि की जानकारी दिया जारहा है. श्री जैन ने कैम्प में उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारियों की निर्देशित कहा कि कच्चों के अधिकारियों की निर्देशित कहा कि कच्चों के अधिकारियों की निर्देशित कहा कि कच्चों के आधकारियों की प्रावधान किन्ने गये हैं, उनकी जानकारी स्कूलों में दी जाए, बच्चों की गुढ़-टच एवं बैड-टच के संबंध में भी बताया जाय, बच्चों के साथ लैंगिक अपराध होने पर उसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी जाये. उन्होंने कहा कि

बज्बों के संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन भी किया गया है, जिसके माध्यम से बज्बों को संरक्षण प्रदान किया जाता है. बेसहारा एवं संरक्षण योग्य बज्जों को बाल कल्याण समिति को सौपा जावे. शिविर को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री केएल चैडान ने कडा कि बज्जों के संरक्षण के लिए शासन प्रशासन हुए लगातार प्रयास किये जा रहे है। बेसहारा, अनाण बज्जों को संरक्षण दिया जा रहा है तथा उनकी शिक्षा-दीक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है. कोकेर में बालिका बालगृह संचालित है, जिसका उन्होंने स्वर्थं निरीक्षण किया है और बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक पहला भी की गई. शासन ह्यार दिये गये निर्देशानुसार जिले में अनुस्थित जाति, अनुस्थित जाति जो में अनुस्थित जाति, अनुस्थित जाति जो के अनुस्थित जाति अना के साथ ही स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है. शिकिर में छतीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई अध्यक्ष श्रीमती प्रमा दुवे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिशी से श्रीमती शाइस्ता के रुगाई होती प्रमाण पत्र प्रमाण कर्माक स्थान अधिकार संरक्षण आयोग नई दिशी से श्रीमती शाइस्ता के रुगाई, समन्वयक एनसीपीसीआर, सुश्री कल्पना बल्हारा, सुश्री करियमा, सुश्री कल्पना बल्हारा, सुश्री करियमा, सुश्री कल्पना बल्हारा, सुश्री करियमा, सुश्री किसा प्रमाण क्रिकारी, त्रमा अधिकारी, श्रम प्रधिकारी, अम प्रधिकारी, उप संचालक समाज कल्याण विभाग, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जाला बाल संरक्षण अधिकारी उपस्थित थे.

बाल अधिकार संबंधित प्रकरणों के लिए होगा शिविर का आयोजन

कैंप में 107

किया गया

पंजीयन

प्रकरणों का





राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

की खण्डपीठ द्वारा बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए आज संयुक्त जिला कार्यालय

भवन में कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता, जाति प्रमाण पत्र, शिक्षकों की कमी, राशन कार्ड में नाम



जोड़वाने, पाँक्सों प्रकरण में क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलने जैसे शिकायतों सहित अन्य प्रकरणों को मिलाकर

> 707 प्रकरणों का पंजीयन किया गया, जिसके निराकरण के लिए संबंधितों को आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है। राष्ट्रीय बाल

अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने कहा कि आयोग द्वारा देश के 115 आकांक्षी जिलों में जाकर बेंच लगाकर अशिष पेज 12 पर



इद्रानया सिटा

Voi) LTE+

चारामा-भानुप्रतापपुर-अंतागढ्- पखांजुर

रायपुर, रविवार २४ नवंबर २०१९



बच्चों में बढ़ती नशे की लत और भिक्षावृत्ति पर जताई चिंता, समाधान के निर्देश

रविवार २४ नवंबर

वैठक: 24 को दिस्तर मह में नगर पंचापत का पुनव को लंकर वीवटर 12 को स्वर्तीय पादव भारत केंद्रक असूत की गई है। इस बैटक में नगर

रेशका अनुस्तानुहर के पुनाव इसारी मैजूद कीर। बैठक: 24 की मनुस्ताहर तिशु मंदिर अनाम में बद्रीत शिशु मंदिर शामा में बदेग स्तरीय बैठक आयोजिश कर आयोजन समिति का गठन किया जारगा, जिसमें अकुरी सम्बद्ध अध्यक्ष को भी आयोजन किया जारगा,

खरीदी के लिए लैपस में

वस्त्र र स्कृतिना प्रांत स्वत्री वर्षों में वकृति नहीं की राज्य र त्यूरी कार जिड्डाहरीं को लेकर र रहिए कार आपना की ने विश्व बाताई और इस स्थाप के जिल्हा की हिए हार स्थाप के जिल्हा के हिए हिल्हा प्रावस को निता भी दिए। र रहिए हिल्हा प्रावस को निता भी दिए। र रहिए हिल्हा प्रावस को निता भी दिए। र रहिए कार स्वत्र की निता की स्वत्र कार्यक्र कार्यक्र की कार्यक्र की कार्यक्र की कार्यक्र की कार्यक्र की की कार्यक्र की है।

बात अधिकार संरक्षण आवंग ने किंव जनसुनवाई का आवंजन

अधिकार संस्था आधीन द्वारा निधा गया है। जिसके चानते ही शानिकत को कंकिर में का सुरवाई का आधीनन किया गया, जिसमें नाशीं की समस्य का निपत्रस्था सुरवाई के देशना ही जिस का सुरवाई के देशना ही जिस का सुरवाई के देशना ही जिस का सुरवाई में पहुंचे राष्ट्रीय खान अधिकार संस्था आधीन के समस्य खानता जैनने को वेंच सुनवाई के लिए कांकेर पर्दुची - बताया कि टेशभर में 45 वेंच लगए जा थी। इस टीरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा - चुके हैं।

भी अग्र दिश्त अपने प्रकारों से पाण प्रकार को प्रणा प्रकार के किया प्रणा कार्य के दौर प्रकार के अपने के अपने कार्य के अपने के

सकात है। यदि कोई त्यक्ति 14 वर्ष से कम अयु के क्यों से कत श्रमिक के सम्म में काम क राज है तो यह अस्तवा है।

कि 14 वर्ष से कम अयु का बच्चे से काम कराय जात है, तो वह बात बंधिक ताए। माता-पिता द्वारा भी बढि बच्चों से

विद्रा प्रशासका प्रभाव के विद्रा के स्कृती बच्चों को चाइल्ड लाइन की जनकारी देने के निर्देश

इसी ब्रहार १८ वर्ष से कम अब्दु के करेंद्रे को अधिम भरे कार्ब में मुद्दी तमाज जा सकता।

लाइन की जनकारी है। साथ ही स्कृती

बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु शिविर का आयोजन ...

धमबिन्दु / कांकेर

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की खण्डपीठ द्वारा बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए आज संयुक्त जिला कार्यालय भवन में कैम्प का आयोजन किया गया. जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता, जाति प्रमाण पत्र, शिक्षकों की कमी, राष्ट्रन कार्ड में नाम जोड़वाने, पॉक्सों प्रकरण में क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलने जैसे शिकायतों सहित अन्य प्रकरणों को मिलाकर 707 प्रकरणों का पंजीयन किया गया. जिसके निराकरण के लिए संबंधितों को आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है।



इस अवसर पर बाल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्री यशवंत जैन ने कहा कि आयोग द्वारा देश के 115 आकांक्षी जिलों में जाकर बेंच लगाकर बच्चों से संबंधित समस्या सुनी जा रही है तथा बाल संरक्षण के लिए वैधानिक एवं कानूनी प्रवधानों जैसे शिक्षा का अधिकार, लैंगिंग अपराध से संरक्षण, किशोर न्याय अधिनियम इत्यादि की जानकारी दिया जा रहा है। श्री जैन ने कैम्प में उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कहा कि बच्चों के अधिकार एवं

संरक्षण के लिए जो कानूनी प्रावधान किये गये है, उनकी जानकारी स्कूलों में दी जाए। बच्चों को गुड-टच एवं बैड-टच के संबंध में भी बताया जाय। बच्चों के साथ लैंगिक अपराध होने पर उसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी जाये। उन्होंने कहा कि बच्चों के संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में वाल कल्याण समिति का गठन भी किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। बेसहारा एवं संरक्षण योग्य बच्चो को बाल कल्याण समिति को सींपा जावे।

शिविर को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री

केएल चौहान ने कहा कि बच्चों के संरक्षण के लिए शासन प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। बेसहारा, अनाथ बच्चों को संरक्षण दिया जा रहा है तथा उनको शिक्षा-दीक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कांकेर में बालिका बालगृह संचालित हैं, जिसका उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया है और बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक पहल भी की गई। शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछत्। वर्ग के बच्चों को जन्म के साथ ही स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। शिविर

में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्रीमती प्रभा दुवे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली से श्रीमती शाइस्ता के.शाह, समन्वयक एनसीपीसीआर, सुन्नी अंजली महाका सलाहकार तथा पुलिस अधीक्षक भोजग्रम पटेल, अपर कलेक्टर ब्री एम.आर. चेलक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्वन, शिक्षा अधिकारी, श्रम पदाधिकारी, उप संचालक समाज कल्याण विभाग, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी उपस्थित थे।

